नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड, उत्तर प्रदेश

(उ0प्र0 नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 के अधीन गठित)
राजर्षि पुरूषोत्तमदास टण्डन पर्यटन भवन, सी–13, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226 010
E-mail : upbdmfr@gmail.com

संख्याः न0वि0स0बो0 / डी–272 / 2017 लखनऊः दिनांकः 22 फरवरी, 2017

विज्ञप्ति

नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड, उ0प्र0 द्वारा मुख्य लेखाधिकारी / वित्त विशेषज्ञ तथा शोध अधिकारी के पदों को सेवारत / सेवानिवृत्त अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति / संविदा द्वारा भरे जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अर्हताएं एवं अन्य विवरण निम्नवत् हैः–

1–मुख्य लेखाधिकारी / वित्त विशेषज्ञ (01 पद)(Prerevised वेतनमान रू0 15600–39100(6600)

(1) प्रतिनियुक्ति की स्थिति में उक्त वेतनमान में कार्यरत हों। संविदा की स्थिति में उक्त वेतनमान अथवा उच्चतर वेतनमान के पद से सेवानिवृत्त हुआ हो।

(2) शासकीय / अर्द्धशासकीय नवसृजित संस्थाओं में वित्तीय प्रबन्धन हेतु अभिलेखों का सृजन एवं रखरखाव, आहरण–वितरण अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन की क्षमता एवं बृह्द अनुभव हो।

(3) वित्तीय प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण का व्यापक अनुभव हो।

(4) नगर निकायों के वित्तीय अभिलेखों एवं वित्तीय व्यवस्था, प्रबन्धन एवं वित्तीय जवाबदेही इत्यादि का गहन अध्ययन एवं विवेचन कर बोर्ड को परामर्श देने में निपुणता एवं अनुभव रखने वाले व्यक्ति को वरीयता दी जायेगी।

(5) कम्प्यूटर तथा इण्टरनेट के उपयोग का सामान्य ज्ञान हो।

2–शोध अधिकारी (01 पद)(Prerevised वेतनमान रू0 15600–39100(5400)

(1) प्रतिनियुक्ति की स्थिति में उक्त वेतनमान में कार्यरत हों। संविदा की स्थिति में उक्त वेतनमान अथवा उच्चतर वेतनमान के पद से सेवानिवृत्त हुआ हो।

(2) नगरीय निकायों के कार्यकलापों का व्यापक अनुभवयुक्त कार्यरत / सेवानिवृत्त अधिकारी हो।

(3) बोर्ड के कर्तव्यों के निर्वाह के लिए निकायों की कार्य पद्धति का अध्ययन कर प्रपत्रों को तैयार करना, सूचना प्राप्त करना, उनका विश्लेषण करना तथा बोर्ड के समक्ष सुविचारित प्रस्तावों को रखने की क्षमता एवं अनुभव हो।

(4) नीति विषयक दिशा–निर्देशों एवं विनियमावली इत्यादि के निर्माण हेतु एवं बोर्ड को नगरीय निकायों के लिए प्रभावी अधिनियमों, नियमों, कानूनों, शासन के निर्देशों इत्यादि की सम्यक् जानकारी देने हेतु समर्थ एवं जानकार हो।

(5) कम्प्यूटर तथा इण्टरनेट के उपयोग का सामान्य ज्ञान हो।

2– संविदा के आधार पर सेवा निवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति प्रथमतया 03 वर्षों के लिए होंगी। सेवानिवृत्त अधिकारियों की तैनाती होने पर सामान्य सिद्धान्त के अनुसार अन्तिम आहरित वेतन में से पेंशन को घटाते हुए तथा उस पर शासन द्वारा समय–समय पर अनुमन्य भत्तों को जोड़कर उनकी परिलब्धियों का निर्धारण किया जायेगा।

प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति की दशा में सेवा शर्तें / परिलब्धियाँ शासन द्वारा निर्दिष्ट प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अनुसार होंगी। ऐसे अभ्यर्थी अपना आवेदन–पत्र अपने वर्तमान नियोक्ता के माध्यम से उनकी अनापत्ति सहित प्रेषित करेंगे।

3– इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सभी वांछित प्रपत्रों, जिससे कि उनके द्वारा अर्हता पूर्ण करने की पुष्टि हो सके, के साथ अपना आवेदन पत्र सचिव, नगरपालिका वित्तीय संसाधन

विकास बोर्ड, उ0प्र0 को उपरोक्त पते पर स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि वह दिनांक 27 मार्च, 2017 तक प्राप्त हो जायें। उक्त निर्धारित अन्तिम तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

सचिव
नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड, उ0प्र0